

आवश्यक
नगरपालिका आम/उप चुनाव, 2025



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या - न.नि. 50-28/2025 - 2395

सत्यमेव जयते

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

(नवादा, औरंगाबाद, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा,

किशनगंज, शेखपुरा एवं जमुई जिला को छोड़कर)

पटना, दिनांक - 2.6.25

विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2025 : ई.वी.एम में प्रयुक्त होने वाले मतपत्रों का मुद्रण जिला स्तर पर कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2025 जिसमें छः नगरपालिकाओं हेतु तीन पद, यथा- वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पदों पर तथा विभिन्न कारणों से रिक्त पदों पर उप निर्वाचन, 2025 हेतु निर्वाचन/मतदान BEL कम्पनी के M2 ई.वी.एम. के माध्यम से कराया जाना है। ई.वी.एम. में प्रयुक्त होने वाले मतपत्रों एवं निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले मतपत्रों का मुद्रण जिला स्तर पर ही पूरी गोपनीयता एवं सुरक्षा बरतते हुए किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आवश्यक राशि नगर विभाग एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले वैध अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र- 14 (ख)) तैयार होने के 48 घंटे के अन्दर मतपत्रों का मुद्रण सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक है कि पर्याप्त समय पूर्व ही ई.वी.एम. से मतपत्रों के मुद्रण हेतु स्थानीय स्तर पर सक्षम प्रिन्टिंग प्रेस को नियमानुसार चिह्नित कर लिया जाये।

2.(1) मतपत्रों का मुद्रण निम्न संख्या में किया जाएगा -

प्रत्येक पद हेतु चिह्नित ई.वी.एम. हेतु 5 (पाँच) मतपत्र प्रति मतदान केन्द्र की दर से एवं निविदत्त मतपत्र हेतु प्रति मतदान केन्द्रवार 20(बीस) मतपत्र की दर से मतपत्र मुद्रित किये जाएँ। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी वार्ड में 3 मतदान केन्द्र हों तो ई.वी.एम. में प्रयुक्त किए जाने के लिए $5 \times 3 = 15$ एवं निविदत्त मतपत्र के लिए $20 \times 3 = 60$ मतपत्र मुद्रित किये जाएँगे। इसके अतिरिक्त ई.वी.एम. में प्रयुक्त होने वाले एवं निविदत्त मतपत्रों के लिए 10 प्रतिशत सुरक्षित मतपत्र अतिरिक्त मुद्रित किये जाएँ, अर्थात् प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए 3 मतपत्र के हिसाब से कुल 9 (नौ) मतपत्र अतिरिक्त मतपत्र के रूप में मुद्रित किये जाएँगे।

(II) मतपत्र का आकार, साइज एवं अन्य विशिष्टियाँ निम्न प्रकार होंगी -

(क) सम्पूर्ण राज्य में बेल द्वारा निर्मित ई.वी.एम. प्रयोग में लाए जा रहे हैं। मतपत्र की कुल लंबाई 461.5 एम.एम. एवं चौड़ाई 140 एम.एम. होगी।

(ख) मतपत्र की ऊपरी खाली जगह में निर्वाचन का विवरण अंकित किया जाएगा यथा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं पद का नाम। उपर्युक्त खाली जगह की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 7.5 एम.एम. × 140 एम.एम. होगी।

(ग) मतपत्र के बाएं शीर्ष भाग में मतपत्र की क्रम संख्या मुद्रित किया जाएगी। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक होती है, तब वैसी स्थिति में मतपत्र के दाएं भाग में सीट (sheet) संख्या दर्शाया जाएगा।

(घ) निर्वाचन के विवरण के ठीक नीचे गहरी काली रेखा (thick black line) होगी, जो 1 एम.एम मोटाई की होगी।

(ङ) इस रेखा (line) के नीचे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की क्रम संख्या उसका नाम तथा आवंटित प्रतीक अलग-अलग पैनलों में मुद्रित किये जायेंगे। मतपत्र में क्रम संख्या, अभ्यर्थियों का नाम एवं प्रतीक चिह्न लम्बवत रेखा द्वारा विभाजित होगी, जैसा कि नमूना में दर्शाया गया है। (पदवार नमूना संलग्न है)

(च) निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों के प्रत्येक पैनल का साइज 27.5 एम.एम (लम्बाई) × 140 एम.एम (चौड़ाई) होगी।

(छ) अभ्यर्थीवार बने पैनल गहरी काली रेखा (thick black line) से विभाजित रहेंगे, जो 1 (एक) एम.एम मोटी होगी।

(ज) निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों का नाम प्रपत्र- 14(ख) की सूची के अनुसार क्रमानुसार होगा।

(झ) एक सीट मतपत्र में अधिकतम 16 अभ्यर्थियों का नाम समाविष्ट किया जा सकता है। यदि 16 से कम अभ्यर्थी हो तो नीचे के पैनल को खाली रखा जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक हो तो मतपत्र सीट-2 पर उपरोक्त वर्णित साइज, आकार एवं विवरण के साथ मुद्रित होंगे। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 33 से 40 के बीच हो तो तीन एवं इसी प्रकार 49 से 64 तक हो तो चार सीट का प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान इ.वी.एम में अधिकतम 64 अभ्यर्थियों तक की व्यवस्था है। इसके लिए अधिकतम चार बैलेट यूनिट उपयोग में लाया जा सकता है।

(ञ) प्रत्येक मतपत्र की सीट पर निर्वाचन का विवरण तथा सीट नंबर बोल्ट लेटर में मुद्रित किये जाएंगे। अभ्यर्थियों की क्रम संख्या (International form of Indian Numeral- 1,2,3,4,5.) में मुद्रित होंगे।

(त) अभ्यर्थियों की क्रम संख्या एवं नाम बाएं तरफ एवं आवंटित प्रतीक पैनल के दाएं साइड में रहेंगे।

(थ) विभिन्न पदों के लिए मतपत्र पदवार निम्नांकित रंग से मुद्रित किये जाएंगे :-

पद का नाम	मुद्रित किये जाने का रंग
(i) वार्ड पार्षद	- सफेद कागज पर काला से मुद्रित
(ii) उप मुख्य पार्षद	- स्काई ब्लू रंग के कागज पर काला से मुद्रित
(ii) मुख्य पार्षद	- पीला रंग के कागज पर काला से मुद्रित

3. सावधानियाँ - (क) The ballot papers shall be printed in such a way that after fixing the ballot paper on the balloting unit in space provided for the purpose, dividing line drawn below the space in which the particulars of election are printed and the dividing lines below the panel of each candidate shall be in complete alignment with the corre-

sponding groves or lines engraved on the balloting unit. Utmost care will, therefore, have to be taken while printing the battot papers and to ensure that the ballot paper have been correctly printed, the balloting should be shown to the technicians of the printing press. They may be asked to take the exact measurements of the space meant for printing the particulars of election and the panel of candidates and the thickness of the dividing lines so that the ballot papers are printed in exact alignment.

(ख) It is not necessary to get the ballot papers which are to be fixed on the balloting units, stitched into bundles.

4. निविदत्त मतपत्र (Tendered Ballot Paper) - निविदत्त मतपत्र का आकार और विशिष्टियां वही होगी जो इ.वी.एम के बैलेट यूनिट में प्रयुक्त होनेवाले मतपत्र की होगी। लेकिन निविदत्त मतपत्र के पृष्ठ भाग (Back Side) पर "निविदत्त मत पत्र" की मुहर लगाई जाएगी एवं मात्र इसी प्रयोजन से इसका उपयोग किया जाएगा।

5. उक्त विशिष्टि के अनुरूप (not on scale) इ.वी.एम में प्रयुक्त किए जाने वाले मतपत्र का नमूना संलग्न है।

6. साथ ही यह भी अति सूक्ष्मता से ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में Symbol और Candidate's Name में कोई भी गलती नहीं रह पाये, अन्यथा पुनर्मतदान की आवश्यकता हो जायेगी, जिसमें व्यर्थ में यही Costly exercise दुबारा दोहरानी पड़ेगी।

7. कृपया उपर्युक्त निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक : मतपत्र का नमूना।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक -न.नि. 50-28/2025 - 2395

पटना, दिनांक - 2.6.25

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक -न.नि. 50-28/2025 - 2395

पटना, दिनांक - 2.6.25

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक -न.नि. 50-28/2025 - 2395

पटना, दिनांक - 2.6.25

प्रतिलिपि, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

















सचिव।

इ.वी.एम हेतु मतपत्र का नमूना

No. - 001

..... का पार्षद, वार्ड संख्या.....

















(नगरपालिका का नाम)

1.	अशोक प्रियदर्शी	
2.	जेवियर लौरेंस साह	
3.	डेजी राय	
4.	प्रदीप कुमार वर्णवाल	
5.	मिथिलेश कुमार	
6.	रत्नांवर निलय	
7.	राजीव शंकर	
8.	राम सेवक मंडल	
9.	राहुल कुमार आर्य	
10.	ललन कुमार	
11.	शशि भूषण तिवारी	
12.	श्रीकांत प्रसाद श्रीवास्तव	
13.	संजय कुमार	
14.	संजीव कुमार	
15.	सुधीर कुमार	
16.	सुनील कुमार श्रीवास्तव	

इ.वी.एम हेतु मतपत्र का नमूना

No. - 001
















..... का उप मुख्य पार्षद
(नगरपालिका का नाम)

1.	अशोक प्रियदर्शी	
2.	जेवियर लौरेंस साह	
3.	डेजी राय	
4.	प्रदीप कुमार वर्णवाल	
5.	मिथिलेश कुमार	
6.	रत्नांवर निलय	
7.	राजीव शंकर	
8.	राम सेवक मंडल	
9.	राहुल कुमार आर्य	
10.	ललन कुमार	
11.	शशि भूषण तिवारी	
12.	श्रीकांत प्रसाद श्रीवास्तव	
13.	संजय कुमार	
14.	संजीव कुमार	
15.	सुधीर कुमार	
16.	सुनील कुमार श्रीवास्तव	

इ. वी. एम हेतु मतपत्र का नमूना

No. - 001

..... का मुख्य पार्षद
(नगरपालिका का नाम)

1.	अशोक प्रियदर्शी	
2.	जेवियर लौरेंस साह	
3.	डेजी राय	
4.	प्रदीप कुमार वर्णवाल	
5.	मिथिलेश कुमार	
6.	रत्नांवर निलय	
7.	राजीव शंकर	
8.	राम सेवक मंडल	
9.	राहुल कुमार आर्य	
10.	ललन कुमार	
11.	शशि भूषण तिवारी	
12.	श्रीकांत प्रसाद श्रीवास्तव	
13.	संजय कुमार	
14.	संजीव कुमार	
15.	सुधीर कुमार	
16.	सुनील कुमार श्रीवास्तव	